न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 200/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. दानाराम पुत्र रिडमलराम 2. रामलाल पुत्र रिडमलराम 3. सहीराम पुत्र रिडमलराम 4. हनुमानराम पुत्र रिडमलराम 5. दोपी पत्नी रिडमलराम जातियान विश्नोई निवासीगण–ग्राम चिकनीनाडी, चन्दनपुरा, हाल निवास– ग्राम गोदरली, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।		1. भरमती पत्नी मगनाराम 2. मगनाराम पुत्र नरसिंगाराम जातियान विश्नोई निवासीगण –ग्राम गोदरली , तहसील फलोदी जिला जोधपुर **प्रफोर्मा प्रत्यर्थीगण** 3. रामकिशन पुत्र बरसिंगाराम जाति विश्नोई निवासी –ग्राम चिकनी नाडी, चन्दनपुरा, तहसील लोहावट जिला जोाधपुर 4. चौथीदेवी पत्नी घमुराम 5. मांगी पत्नी राधेश्याम 6. राधेश्याम पुत्र घमुराम, जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम विष्णु नगर, जालोडा हाल निवास–ग्राम गोदरली तहसील फलोदी जिला जोधपुर। 7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, फलोदी जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध आदेश दिनांक 12.04.203 जो उपखण्ड अधिकारी, फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 44/2022 अनवान भरमती वगैरा बनाम दानाराम वगैरा में पारित किया।

उपस्थितिः–

1– श्री पूनाराम बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से।

3– शेष रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 6 अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 18 सितम्बर,2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस के द्वारा यह अपील अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उल्लेखित प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 के विरूद्ध पेश की गई है जिसके द्वारा ग्राम गोदरली तहसील फलौदी के ख0सं0 199 रकबा 4.6972 हैक्टर व ख0सं0 199/5 रकबा 0.9712 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी किये जाने

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

बाबत अपीलाधीन आदेश प्रसारित किये गये है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट की ओर से रेस्पोडेन्टस को जारी रजिस्टर्ड नोटिस की रसीदे पेश की गई परन्तु रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। तत्पश्चात अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस को सुना गया।

अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत म्याद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील को अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी सं0 1 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि उसकी खातेदारी की भूमि ग्राम गोदरली, तहसील फलोदी के ख0 नं0 199 रकबा 4.6972 हैक्टर व ख0 नं0 199/5 रकबा 0.972 हैक्टेयर स्थित है। इस भूमि के पूर्व दिशा में चिपते ही वर्तमान अपीलान्टस एवं अन्य रेस्पोडेन्टस की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 214 व 216/2 आई हुई है। वादग्रस्त भूमि की सीमा संबंधी विवाद होने पर प्रार्थीया ने दिनांक 08.05.2021 को तहसीलदार फलोदी से भूमि की पेमाईश करवायी गयी। अप्रार्थीगण सीमा संबंधी विवाद करते है। इस कारण प्रार्थीनी की खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी की जावे।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज करते हुए सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया। नोटिस प्राप्त होने पर अपीलार्थी द्वारा अपना अधिवक्ता मुकर्रर किया एवं जवाब पेश किया जिसमें नक्शा ट्रेस की प्रतिलिपि वक्त बहस प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया था। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी के बिना सुने ही रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए पत्थरगढी करने का अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जिसके विरूद्व यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की जा रही है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये, अपीलार्थी के अधिवक्ता की बहस सुने बिना ही एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि अप्रार्थीया के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ख0 नं0 214 व 216/2 जो अपीलार्थीगण के खातेदारी की भूमि है एवं प्रार्थी के ख0 सं0 199 व 199/5 में सीमा संबंधी विवाद है, इस कारण जब तक दोनों खसरों की पेमाईश विधिवत रूप से नहीं हो जाती तब तक निष्पक्ष रूप से पत्थरगढी की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

कार्यवाही सम्पादित की ही नहीं जा सकती। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नं0 214 के पेमाइश एवं पत्थरगढी के संबंध में किसी प्रकार का आदेश ही पारित नहीं किया। अपीलार्थीगण ने निवेदन किया था कि उनकी खातेदारी भूमि ख0 नं0 214 की भी पेमाइश करवाई जाकर पत्थरगढी की जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी के ख0 नं0 199 व 199/5 की रकबा भूमि की अकेले की पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिया जो बहाल रखने योग्य नहीं है।

अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 की खसरा संख्या 199 व 199/5 रकबा भूमि जो जमाबन्दी में दर्ज है उस अनुसार कब्जा एवं काश्त मौके पर नहीं है एवं रेस्पो0 संख्या एक पत्थरगढी बाबत पारित अपीलाधीन आदेश की आड में अपीलार्थीगण के खसरा नं0 214 में कब्जा करने का प्रयास कर रहे है जो कानूनन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 111 में जब निर्विवादित पेमाइश रिपोर्ट उपलब्ध हो तो ही उपखण्ड अधिकारी धारा 128 के तहत पत्थरगढी का आदेश पारित कर सकते है। इस प्रकरण में फर्द पैमाइश दिनांक 08.05.2021 एक तरफा तैयार की गई है उस पैमाईश की अपीलार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गई है। पेमाईश रिपोर्ट में यह तथ्य आया है कि ख0 नं0 199 की भूमि पडोसी खातेदार के ख0 नं0 214 व 216/2 में दबी हुयी है अर्थात मूल ख0नं0 199 की भूमि मौके पर कम है। इस कारण अपीलार्थीगण के खसरा नं0 214 की पेमाईश भी की जाना आावश्यक थी। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश एकतरफा पारित किया गया आदेश है जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्वान्त के विपरित होने से निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टस की अपील को स्वीकार की जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 7 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस संख्या 1 व 2 की ओर से अपनी खातेदारी भूमि की सीमा पर पत्थरगढी करवाने हेतु आवेदन किया गया जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि की पैमाइश करने व पत्थरगढी किये जाने का अपीलाधीन आदेशा पारित किया गया है जो यथावत बहाल रखा जावें।

हमने अपीलान्ट के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की ओर से की गई पर बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 12.04.2023 इत्यादि दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत मौका फर्द पैमाइश में ख0सं0 199/3 की भूमि पडौसी खसरा संख्या 214, 216/2

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

में आंशिक रूप से दबी हुई होना दर्शाया है, उक्त मौका फर्द तैयार करते समय मात्र रेस्पोडेन्टस को ही मौके पर उपस्थित रहना मौका फर्द से प्रकट होता है जबकि ऐसे विवादित प्रकरणो में जब विरोधाभाष हो तो अन्य प्रभावित खसरान के खातेदार/काश्तकारों को भी मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया जाना चाहिये और अधीनस्थ न्यायालय को भी चाहिये था कि वादग्रस्त भूमि पर ऐसा विवाद सामने पर वह प्रभावित पक्षकारान को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्टस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, फलौदी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलान्टस एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के खेत खसरान की भूमि की उनकी उपस्थिति में मुस्तकील बिन्दु से सीमाज्ञान करवावे तत्पश्चात मौका फर्द/मौका नक्शा प्राप्त करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई का मौका दिये जाने के उपरान्त पुनः पैमाइश व पत्थरगढी सम्बन्धी यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक 18 सितम्बर, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओम प्रकाश बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर